

15.09.21


वकील अश्व पक्ष उप० । वकील अश्वी. का० मु०
की कार्यवाही ताबत समय-चाहेते हैं। अधिवक्ता
रेल्वो० को आपत्ति है। वकील अपीलान्ट को दिनांक
17.07.19 को कार्यवाही न करने पर रजार्जि करने
की हियायत दी जाँन्दुकी तथा दिनांक 17.03.21
को पुनः का० मु० की कार्यवाही न करने पर रजार्जि

प.नं०

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अमर सिंह / रामदुलारी</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
--------------------	--	--

लगातार ->

करने की हिदायत दी गई। परन्तु तकील अपी० द्वारा आठ दिनों तक का मु० की कार्यवाही नहीं की है। आज भी समय (जीका) चाहते हैं। अतः पत्रावली अदम पेरकी व अ. तकमीत में रखाई की जाती है। पत्रावली फेसल शुभार होकर नम्बर से कम की जावे, बाद जाणा दायिल दफतर हो।


पु-मन्स बलिगारी,
 बदेन
राजमन् बदीक हाकिमारी
परातपुर डेम्प-डीवपुर

[Faint, mostly illegible handwritten text in the lower portion of the page, likely bleed-through or additional notes.]